न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-22/2016

मंगला पुत्र रामू जाति माली निवासी धोराणा की ढाणी तन कुडली तहसील व जिला सीकर ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- सन्तोषदेवी पुत्री मंगला पत्नी रामोतार सैनी जाति माली निवासी धोराणा की ढाणी तन कुडली तहसील व जिला सीकर राज0 हाल आबाद वार्ड नं0 -11 शाकम्भरी गेट के पास कुआ पर साला अउयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

2- उप पंजीयक सीकर जिला सीकर ।

3- भू-धारक तहसीलदार सीकर जिला सीकर ।

4- पटवारी पटवार हल्का कुडली तहसील व जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 3-11-2015 द्वारा उप खण्ड अधिकारी, सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री ताराचन्द यादव एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 1.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेशकर निवेदन किया किआराजी खसरा नं0 308 रकबा 0.98 हैक्टर, ख0नं0 952/297 रकबा 1.16 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 2.14 हैक्टर वाके ग्राम कुडली वादी एवं अप्रार्थी सं0--1 एवं दावे में वर्णित प्रतिवादी सं0-2 लगायत 12 की मजरा खातेदारी की है । जिनका मजरा खानदान इस प्रकार है कि मंगला पुत्र रामु के तीन पुत्र व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

नौ पुत्रिया हुई ।जिसमें प्रार्थीया का विवादित आराजी में 1/13 हक हिस्सा है तथा दावे में प्रतिवादी सं0-1 से 12 का 1/13, 1/13 हक हिस्सा है ।इसी अनुसार मौके पर काबिज है ।विवादित आराजी पैत्रिक है । जो पहले रामू के नाम थी तथा रामू के देहान्त के बाद यह आराजी प्रार्थीया के पिता मंगला के नाम विरासत में दर्ज हुई ।इस प्रकार विवादित आराजी अप्रार्थी सं0-1 मंगला के नाम दर्ज है ।अप्रार्थी संख्या-1 भोला भाला व्यक्ति है जिसको सोचने समझने की शक्ति नहीं है जो प्रतिवादी सं0-2 से 7 अच्छी तरह से जानते हैं । जो इस आराजी को भूमाफियाओं को विक्रय करने पर आमादा है । जबकि विवादित आराजी पैत्रिक भूमियां है जिनमें प्रार्थीया का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्र व पुत्रियों का जन्म से हिस्सा निर्धारित है । जिससे प्रार्थी का उक्त आराजी में 1/13 हिस्सा है । दिनांक 11-9-2013 को प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजी पर मेडबंदी सुधार कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान कुछ व्यक्ति अप्रार्थी संख्या-1 के पास दावे में प्रतिवादी सं0-2, 5 व 6 आये एवं विवादित आराजी को कुछ अजनबी व्यक्तियों को दिखाने लगे। तब प्रार्थीया ने इस बाबत पूछा तो उन्होने कहां कि अप्रार्थी संख्या-1 इस आराजी को हमें बैचना चाहता है । तब मैने कहा कियह आराजी पैत्रिक है जिसमें मेरा 1/13 हिस्सा है। जिस पर प्रतिवादी सं0-2 ने कहा कि यह आराजी इन्हीं व्यक्तियों को बैचान कर मुझे बेदखल करने की धमकी दी। जिस पर प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र मय दावा पेश किया। जिस पर अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व स्थगन आदेश को तादौराने वाद कन्फर्म किया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का दावा दायरी के समय कोई कब्जा काश्त नहीं था तथा ना ही खातेदारी दर्ज थी।इस कारण एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट को यह दावा एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनन कोई हक अधिकार ही नहीं था । अपीलान्ट ने अदालत

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

मातहत में इन सभी तथ्यों को दर्ज करते हुये जबाब दावा पेश किया गया किन्तु अदालत मातहत ने जबाब दावा का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है । अदालत मातहत ने ह अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दूओं पर कोई विवेचन न कर अपना निर्णय दिया है जो विधि के विपरित है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 न तो खातेदार है और न ही उसका विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त है । जिससे रेस्पोडेन्ट का न तो प्रथम दृष्टया मामला है और न ही किसी प्रकार का सुविधा का सन्तुलन है । विवादित आराजी पर ळळळ अपीलान्ट काबिज खातेदार काश्तकार है जिसको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने से अपूर्ति क्षति भी अपीलान्ट को ही हुई है । इन बिन्दूओं पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का अपीलान्ट रेकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है जिससे अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामल एवं सुविधा का सन्तुलन है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 विवादित आराजी की न तो खातेदार है और न ही उसका इस आराजी के हिस्से पर कोई कब्जा काश्त है । इससे रेस्पोडेन्ट सं0-1 का न तो प्रथम दृष्टया मामला है और न ही सुविधा का सन्तुलन है । स्थगन आदेश जारी करने से अपीलान्ट को अपूर्ति क्षति हुई है । अपीलान्ट विवादित आराजी का रेकार्डेड खातोदार काश्तकार है जिसको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2013(1) पेज-123 आरआरटी 2015(1) पेज 633, आरआरटी 2011-12(एस0सी0) पेज 217 में स्पष्ट किया गया है कि एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के आदेश को उचित एवं विधिक बताते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक है । जिसमें रेस्पोडेन्ट सं0-1 का जन्म के साथ ही हिस्सा निर्धारित है । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के हिस्से को रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से बेचान करने पर आमादा है । यदि रेस्पोडेन्ट के हिस्से का अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदारी की आड में बेचान किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति रेस्पोडेन्ट को है न कि अपीलान्ट को अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर गोर कर अपना निर्णय दिया है । अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने जो नजीर पेश की है उनमें विवादित आराजी पैत्रिक नहीं है । इस कारण विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई० पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2068 से 2071 में ख0नं0 308, 952/297 कुल किता-2 रकबा 2.14 हैक्टर की खातेदारी मंगला पुत्र रामू के नाम दर्ज है ।रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रेकार्ड मेंकेवल जमाबन्दी सं0-2068 से 2071 पेश की जिसमें विवादित आराजी अपीलान्ट के नाम से दर्ज है ।इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित आराजी का रेकार्डेड काबिज खातेदार काश्त -कार है । जिससे उसका प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन है ।रेस्पो0 ने विवादित आराजी पर उसका कब्जा हो ऐसा भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यही माना जावेगा कि विवादित आराजी पर रेकार्डेड खातेदार काश्तकार का ही कब्जा काश्त है और उसको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति भी अपीलान्ट को ही है तथा प्रस्तुत नजीरों में भी स्पष्ट किया गया है कि एक रेकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नहीं किया जाना चाहिये ।अतः हम प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के आदेश को विधि संगत नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खंण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय दिनांक 3-11-15 को खारिज किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 1.12.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल बेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर